<u>पर्चा डिक्री</u>

न्यायालय : उपखण्ड अधिकारी भादरा, जिला हनुमानगढ़

पीठासीन अधिकारी : श्री राजकुमार कस्वा आरएएस

प्रकरण सं0 : 176/2016

अनवान :

राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार राजस्व भादरा जिला हनुमानगढ़।

- वादी

बनाम

1. रामसिंह पुत्र देवकरण जाति जाट साकिन भिरानी (मृतक)

1.1 सन्तोष पत्नि रामसिंह
1.2 प्रेम कुमार
1.3 जयवीर
1.4 शारदा
} पुत्रान/पुत्र रामसिंह जाति जाट साकिन भिरानी

- प्रतिवादीगण

आज यह वाद मुझ राजकुमार कस्वा उपखण्ड अधिकारी भादरा के समक्ष पेरोकार राज एवं वकील प्रतिवादीगण श्री लीलाधर अग्रवाल की उपस्थिति में निर्णय हेतु प्रस्तुत होने पर वादभूमि में प्रतिवादीगण के हक हिस्सा तक वाद वादी डिक्री किया जाता है कि ग्राम भिरानी के मु0नं0 310 के किला नं0 3, 4, 7, 14/1 की कुल 0.822 है0 भूमि वर्तमान में रामसिंह पुत्र देवकरण जाति जाट निवासी भिरानी के नाम खातेदारी दर्ज है। उक्त भूमि में से किला नं0 7 व 14/1 की 444 वर्गमीटर भूमि को सिवाय चक भूमि घोषित की जाती है व तहसीलदार भादरा को आदेश दिया जाता है कि वादभूमि से प्रतिवादीगण को बेदखल कर कब्जा बहक राज्य सरकार प्राप्त करे। वादभूमि में मोबाईल टावर लगा हुआ है जो कि जनोपयोगी सेवा है, जिसे तत्काल बंद किया जाना आम जनता के हितों के प्रतिकूल है। तहसीलदार भादरा मोबाईल दूरसंचार सेवा प्रदाता टेलीकॉम कम्पनी व सम्बंधित टावर कम्पनी के साथ विधिवत प्रक्रिया अपनाकर वादभूमि से अकृषिक कार्य सरंचना मोबाईल टावर हटवाया जाना सुनिश्चित करे। विधिवत प्रक्रिया द्वारा पर्याप्त अवसर देने के उपरांत भी मोबाईल टावर न हटाए जाने पर तहसीलदार भादरा वादभमि से मोबाईल टावर हटाने हेतु स्वतंत्र है। खर्चा वाद उभय पक्ष अपना अपना वहन करे।

यह पर्चा डिक्री आज दिनांक [illegible] को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मुद्रा से जारी की गई।

Signature Not Verified
Digitally signed by Shakuntala
Date: 2022.11.07 13:08:30 IST
Reason: SelfAttested

(राजकुमार कस्वा)
R.A.S.
उपखण्ड अधिकारी
भादरा, जिला हनुमानगढ